प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2867/2007

याचिकाकर्ता - सुरेन्द्र सिंह, पिता श्री शिवपूजन सिंह, आयु लगभग 44 वर्ष, पद– ब्लॉक समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, निवासी– पी.डब्ल्यू.डी. कॉलोनी, रेस्ट हाउस के पास, पेण्ड्रा रोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।

2. कलेक्टर, बिलासपुर सह-जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, बिलासपुर (छ.ग.)।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

.....

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री के.एस. पवार, अधिवक्ता ।

उत्तरवादीगण की ओर से श्री यशवंत सिंह ठाकुर, शासकीय अधिवक्ता।

.....

मौखिक आदेश

(दिनांक 09 मई, 2007 को पारित)

(1) इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.04.2007 के आक्षेपित निलंबन आदेश (अनुलग्नक पी./3) को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, विकासखंड मरवाही, जिला बिलासपुर में ब्लॉक समन्वयक के पद पर कार्यरत था तथा शासकीय बहुउद्देश्यीय विद्यालय, बिलासपुर में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते हुए, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर में उक्त निलंबन आदेश पारित किया गया।

(2) निलंबन आदेश के अवलोकन से प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को कर्तव्यों के कथित उल्लंघन तथा शासकीय कार्य में अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया है।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दिनांक 28.04.2007 के आदेश को तीन आधारों पर चुनौती दी है—

(i) आक्षेपित निलंबन आदेश में जांच लंबित/विचाराधीन होने का कोई उल्लेख नहीं है;

(ii) निलंबन आदेश पारित करने वाला अधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है;

(iii) उक्त अधिकारी राज्यपाल द्वारा इस संबंध में अधिकृत नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में "नियम, 1966") के नियम 9 के अंतर्गत, यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो या लंबित हो, तो उसे निलंबित किया जा सकता है। निलंबन आदेश में उल्लिखित आरोपों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

(5) नियम 9 के प्रावधानों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी के अधीनस्थ कोई भी प्राधिकारी या राज्यपाल द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी, चाहे वह सेवा श्रृंखला में हो या न हो, कर्मचारी को निलंबित कर सकता है। "राज्यपाल द्वारा अधिकृत अन्य प्राधिकारी" से आशय ऐसे प्राधिकारी से है, जो याचिकाकर्ता की सेवा श्रृंखला में न भी हो, परंतु जिसे इस कार्य हेतु

विधिवत् अधिकार प्रदान किया गया हो। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने केवल मौखिक कथन किया है, किन्तु इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु कोई सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया कि निलंबन आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी न तो अधिकृत था और न ही उसे राज्यपाल द्वारा इस संबंध में कोई अधिकार प्रदान किया गया था।

(6) नियम 9(1) के द्वितीय उपबंध में यह भी प्रावधान है कि जहाँ निलंबन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न स्तर के किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, वहाँ ऐसा प्राधिकारी तत्काल उन परिस्थितियों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा, जिनके आधार पर निलंबन आदेश पारित किया गया।

(7) मैसूर राज्य बनाम एम.एच. बेल्लारी तथा विद्याधर पांडे बनाम विद्युत गृह शिक्षा समिति के मामलों में सेवा समाप्ति से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया गया था, जिनमें दंड के नागरिक परिणाम सम्मिलित थे। पी.एल. शाह बनाम भारत संघ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निलंबन की प्रकृति पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "निलंबन का आदेश किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर दंडित करने का आदेश नहीं है। यह उसके विरुद्ध दोष सिद्ध होने से पूर्व पारित किया गया आदेश है, जिससे उसके विरुद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाही का सुचारु संचालन सुनिश्चित किया जा सके। ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक हित तथा संबंधित शासकीय कर्मचारी के हित में यथाशीघ्र पूर्ण की जानी चाहिए।"
>
> यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि निलंबन एक अस्थायी व्यवस्था है और इसमें किसी प्रकार का दंडात्मक या नागरिक परिणाम निहित नहीं होता। निलंबन का अर्थ है कर्तव्यों के निर्वहन से अस्थायी वंचना, जो कर्मचारी के पद, रैंक या स्थिति में किसी प्रकार की कमी नहीं लाती। निलंबन की अवस्था में कर्मचारी शासकीय सेवक बना रहता है, किन्तु विभागीय जांच लंबित रहने के कारण उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी

जाती, ताकि जांच की कार्यवाही पर अनुचित प्रभाव न पड़े तथा अभिलेखों से छेड़छाड़ की संभावना को रोका जा सके। इस अवस्था में याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की विवेचना करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इससे प्रस्तावित विभागीय जांच में पक्षकारों के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(8) आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है कि निलंबन आदेश की सूचना सभी अधिकारियों, जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी भी सम्मिलित है, को अनुलग्नक पी./2 दिनांक 28.04.2007 के माध्यम से दे दी गई थी।

(9) वर्तमान प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बिलासपुर द्वारा निलंबन आदेश पारित किया गया, जिसे कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित किया गया। जहाँ तक निलंबन आदेश में जांच के विचाराधीन होने का उल्लेख न होने का प्रश्न है, आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से की गई अनियमितताओं का विवरण दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि जांच विचाराधीन थी। नियम 9(2-क) एवं 9(2-ख) ऐसी स्थिति का प्रावधान करते हैं, जहाँ 45 अथवा 90 दिनों के भीतर जांच प्रारंभ नहीं की जाती।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) याचिकाकर्ता ने नियम 9(2) के अनुसार अभियोग-पत्र की प्रतीक्षा किए बिना ही सीधे इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अतः यह याचिका समयपूर्व है और इस चरण पर विचारणीय नहीं है।

(11) यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि निलंबन अस्थायी प्रकृति का होता है और इससे कोई दंडात्मक या नागरिक परिणाम उत्पन्न नहीं होता। निलंबन का अर्थ है कर्तव्यों के निर्वहन से अस्थायी वंचना, जो कर्मचारी के पद या दर्जे में किसी प्रकार की कमी नहीं लाता। निलंबन की स्थिति में कर्मचारी शासकीय सेवक बना रहता है, किन्तु विभागीय जांच लंबित होने के कारण उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती, ताकि

जांच की कार्यवाही पर अनुचित प्रभाव न पड़े तथा अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से बचा जा सके।

(12) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2918/2006 (वी.के. केशरवानी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) के आदेश दिनांक 22.06.2006 पर निर्भरता व्यक्त की गई है। उक्त आदेश में यह अवलोकन किया गया था कि निलंबन आदेश पारित करते समय यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि जांच प्रस्तावित है। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा उक्त प्रकरण में पारित अंतिम आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

(13) फलस्वरूप एवं उपर्युक्त कारणों से यह याचिका खारिज की जाती है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**